अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
03/08/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **आदेश** एस.ए.आर. पुनरीक्षण वाद 34/2010 पूरन मुण्डा द्वारा कमल भूषण व असीम कुमार सिन्हा के विरूद्ध दायर किया गया था जिसमें अपर समाहर्त्ता रांची द्वारा SAR अपील 04R14/2009 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। विनियमन पदाधिकारी रांची द्वारा तथा अपर समाहर्त्ता द्वारा भूमि वापसी के आवेदनों को अस्वीकृत किया गया था, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया। दिनांक 05.07.2021 को आवेदकों के तरफ से एक आवेदन दायर करते हुए यह सूचित किया गया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में उभय पक्षों के बीच स्वत्व वाद 524/2018 दायर किया गया था। उक्त वाद में मध्यस्थता के पश्चात उभय पक्षों के बीच सहमति हुई, जिसके आधार पर व्यवहार न्यायालय द्वारा डीक्री जारी की गई। इसके पश्चात् राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष उभय पक्षों के बीच अंतिम समझौता किया गया। अतः आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण वाद वापस करने हेतु अनुरोध किया गया है। दिनांक 02.08.2021 को इस विषय पर आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष भी रखा गया। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात आदेश पारित किया जा चुका है। अतः इस पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। Kulkarni 03/08/2021 आयुक्त। Kulkarni 3/08/2021 आयुक्त।	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 15:17:02 +05:30
Location: 192.168.1.40